न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 7/2022
GCMS Case No. 2022/35

सायल :– सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली

बनाम

गैरसायलः– मो.इकबाल उर्फ डोनाल्ड पुत्र मो.शाबिर जाति छीपा मुसलमान निवासी प्यारा चौक गली पुलिस थाना कोतवाली पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली
गैर सायल स्वयं एवं अधिवक्ता श्री मो.आमीन खान उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक :– 20-12-2022

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 2.3.2022 को गैरसायल मो.इकबाल उर्फ डोनाल्ड पुत्र मो.शाबिर जाति छीपा मुसलमान निवासी प्यारा चौक गली पुलिस थाना कोतवाली पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना कोतवाली पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2020 से 2021 तक कुल 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। दोनो प्रकरणों में गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	मु0न0	धारा	फैसला दिनांक	निर्णय
1	291/2020	13 आरपीजीओ एक्ट	3-9-2020	दिनांक 3.9.2020 को एसीजेएम पाली द्वारा 50 रू. जुर्माना
2	10/2021	13 आरपीजीओ एक्ट	25-1-2021	दिनांक 25.1.21 को एसीजेएम पाली द्वारा परीविक्षा अधि.की धारा 3 का लाभ देकर 100/– रू. अभियोजन व्यय पर छोड़ा गया।

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल मो.इकबाल उर्फ डोनाल्ड पुत्र मो.शाबिर जाति छीपा मुसलमान निवासी प्यारा चौक गली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली जुआ खेलने तथा अन्य लोगो को भी जुआ खेलने के लिए प्रेरित कर देता है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है, जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(5)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

गैर सायल व अधिवक्ता गैर सायल ने वक्त बहस कथन किया कि उसके विरूद्ध समस्त प्रकरण पुराने है तथा वर्तमान वह एक आम जीवन बसर कर रहा है तथा मजदूरी कर के अपना परिवार चला रहा है। वह अब जुआ खेलने या अन्य लोगो को जुआ खेलने हेतु प्रेरित करने में लिप्त नहीं है। अतः उसके विरूद्ध पेश इस्तगासा खारिज फरमाया जावें। अधिवक्ता गैरसायल ने न्यायिक दृष्टांत यथा 2002 सीआरआईएलजे 1655,2002(1) डब्ल्यूएलसी 540, 1984 डब्ल्यूएलएन 27, 1996 सीआरआईएलजे 342,1996(1) डब्ल्यूएलसी 728, 1987 सीआरआईएलजे 1339,1986(1) डब्ल्यूएलएन 458 पेश किये।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सा.दंगा) पाली के मुकदमा नम्बर 291/2020 में दिनांक 3.9.2020 को आदेश पारित करते हुए धारा 13 आर.पी.जी.ओ.एक्ट में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 50/– रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। इसी प्रकार माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सा.दंगा) पाली के मुकदमा नम्बर 150/2021 में दिनांक 25.1.2021 को आदेश पारित करते हुए धारा 13 आर.पी.जी.ओ.एक्ट में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत सम्यक प्रताड़ना देकर रिहा किया गया साथ ही परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 100/– रूपये अभियोजन व्यय अधिरोपित किया गया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल मो.इकबाल उर्फ डोनाल्ड पुत्र मो.शाबिर जाति छीपा मुसलमान निवासी प्यारा चौक गली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत दो माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना प्रतापनगर जोधपुर जिला जोधपुर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 04-01-23 से 60 दिन के लिये पुलिस थाना प्रतापनगर जोधपुर जिला जोधपुर में सप्ताह में एक बार अर्थात 60 दिन में आठ बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी प्रतापनगर जोधपुर जिला जोधपुर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल मो.इकबाल उर्फ डोनाल्ड इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली गैरसायल मो.इकबाल उर्फ डोनाल्ड को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना देवगढ़ जिला राजसमन्द की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी प्रतापनगर जोधपुर जिला जोधपुर उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली पाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली एवं थानाधिकारी प्रतापनगर जोधपुर जिला जोधपुर को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 20-12-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली